संख्याः 3603 / VII-1 / 156–ख / 2005

प्रेषक,

श्री आनन्द वर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

प्रेष्य;

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

2. अपर निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

देहरादून : दिनांकः 30 जनवरी, 2006

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

विषयः राज्य में खनिज सोपस्टोन के अवैज्ञानिक खनन से हो रहे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव की प्रभावी रोकथाम तथा खनन संरक्षण व भूमि सुधार के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय;

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय परिदृश्य में जहां कि स्थानीय रोजगार के सीमित अवसर उपलब्ध हैं, वहीं राज्य में प्राप्त खनिज सोपस्टोन का प्रचुर भण्डार गुणवत्तायुक्त होने के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त प्रदेश में सोपस्टोन के खनन एवं उस पर आधारित उद्योग जैसे पल्पराईजर, माइक्रोनाइजर एवं पालीमर के संयंत्र लग रहे हैं एवं काफी संख्या में सोपस्टोन के व्यापारी उत्तरांचल में आ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में उपलब्ध सोपस्टोन खनन क्षेत्रों पर दबाव काफी बढ़ा है। साथ ही व्यापार में कम लागत से अधिक लाभ प्राप्त होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए खनन पट्टाधारक भूमि की ऊपरी सतह में पाये जाने वाले खनिज के दोहन हेतु अधिक प्रेरित रहते हैं।

2– मा0 सर्वोच्च न्यायालय के टी0एम0 गोडाबर्मन विरूद्ध यूनियन के आदेशों के अनुपालन में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचना 1893 के प्रभावी होने से उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित किये जाने के कारण उक्त भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से प्रभावित हो जाती है, जिसे पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में पृथक कर खनिज सोपस्टोन के परिहार स्वीकृत किये जाते थे। अतः उपर्युक्त अतिरिक्त दबाव के कारण खनन पट्टाधारक बंजर/बेनाप भूमि में खनन कार्य करने को प्रेरित हैं, जिसकी रोकथाम हेतु शासनादेश दिनांक 07 जनवरी, 2004 के द्वारा बेनाप/बंजर भूमि को सम्मिलित कर खनन परिहार स्वीकृत करने की नीति निर्धारित की गयी है।

3– संदर्भगत प्रकरण में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में खनिज सोपस्टोन तथा अन्य मुख्य खनिजों के अवैज्ञानिक खनन से हो रहे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के प्रभावी रोकथाम तथा खनिज संरक्षण व भूमि सुधार के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने कष्ट करें :–

(क) खनिज सोपस्टोन के अन्वेषण (प्रोस्पेक्टिंग) कार्य हेतु वर्तमान में प्रचलित "हिट व ट्रायल" विधि के स्थान पर नापभूमि के पूरे क्षेत्र की उर्ध्वाधर व क्षैतिज विस्तार सहित विस्तृत प्रोस्पेक्टिंग की जानी चाहिए।

क्रमशः.....पेज 2 पर

(ख) खनिज का खनन किये जाने से निर्मित पिटों/गड्ढ़ों को समुचित दबाव (काम्पैक्शन) व सहारे सहित खोदी गयी मिट्टी की ऊपरी परत से भरा जाना चाहिए। समुचित सहारा प्रदान करने हेतु तथा धसॉव/झुकाव (रिल्टिंग) के कारण पुनः नुकसान की रोकथाम हेतु प्रत्येक बेंच (टारेस) स्तर पर समुचित प्रकार से बनायी गयी सुरक्षा (रिटेनिंग) दीवारों को निर्मित किया जाना चाहिए।

(ग) प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वनीकरण व उससे सम्बन्धित उपचार और अन्य कृषि विकास नियमित रूप से किया जाना चाहिए जिससे पारिस्थितिकी का अधिकाधिक सुधार हो सके।

(घ) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई तथा जिला प्रशासन द्वारा खनन पट्टों तथा अन्वेषण अनुज्ञा पत्रों के नियमित निरीक्षण द्वारा यह कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुमोदित खनन योजना (माईन प्लान) तथा उत्तरोत्तर खनन बन्द योजना (माईन क्लोजर प्लान) के अनुसार ही खनन कार्य किया जा रहा है तथा माईनिंग लीज/प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस पट्टा विलेख की समस्त शर्तो का कड़ाई के साथ अनुपालन किया जा रहा है।

(ड.) उन सभी पट्टाधारकों जिन्होंने माईनिंग लीज/प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस क्षेत्र के बेनाप भूमि/वन भूमि के संदर्भ में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से अभी तक सहमति प्राप्त नहीं की है, के माईनिंग लीज/प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस क्षेत्र में तत्काल कार्य बन्द करा कर ऐसे पट्टाधारकों/अनुज्ञा पत्र धारकों की सूची शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(च) उन सभी पट्टाधारकों जिनका खनन क्षेत्र 5 हैक्टेयर से अधिक है, को लिखित रूप में यह निर्देशित किया जाय कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना (इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन) 1994 (समय–समय पर संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार खनन पट्टों के संदर्भ में पर्यावरणीय अनापत्ति (इन्वायरमेंट क्लीयरेन्स) प्राप्त करें।

भवदीय,

/

(आनन्द वर्द्धन)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 3603(1)/VII-1/156–ख/2005, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आनन्द वर्द्धन)
अपर सचिव।